

Form No. III

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

(मुकाम)

मारवाड़ जंक्शन

पुनाराम

बनाम

दीनाराम वगैरे

किस्म मुकदमा राजस्व दरखास्त धारा 212

प्रकरण नं. 117 सन् 19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिजिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए
22/7/19	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित । वकील प्रार्थी द्वारा एक राजस्व दरखास्त विरुद्ध अपाधीगण के अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्टर हो। अपाधीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 25/7/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन</p>	
26/7/19	<p>पत्रावली- आज पेश हुई वकील प्रार्थी उज्ज्वल अडावली सं. 1 के उकी तरफ से अधिवक्ता नि. मं. 461 नं. वमालनामा पेश किया जो शामिल मूल वाद ही अडावली सं. 4 के लम्बत विधिवत तामिल शुदा प्राप्त नहीं हुए अडावली सं. 6 के लम्बत वाद तामिल प्राप्त हुए; जो शामिल पत्रावली- वकील प्रार्थी अडावली सं. 4 के लम्बत लही गान एक पत्रावली जात खिल के पेश की पेश होने पर जारी- वकील प्रार्थी- वाद तलबी लही जायक आभदा दिनांक 19/8/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन</p>	
19/8/19	<p>पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी उज्ज्वल वकील अडावली उज्ज्वल सं. 1 के उ उज्ज्वल वकील अडावली को जवाब हेतु अतिम अवसर दिया जाता है जायकी- वकील प्रार्थी को विधिवत ही जारी की वे शेष अपाधीगण के लम्बत पेश कर पत्रावली वाद तलबी जवाब लही लम्बत आभदा दिनांक 15/8/19 को मूल 915 को जारी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन</p>	

15/11/19

पतावली आज पेश हुई वजुलाथ उषा
वकील प्रवी को न्यायद्वित में लवणी
अंतिम अवसर दिया जाता है कि वे
शेष अपावली के लक्ष्मी नाम एवं पता मय
P/A जमान पेश करें। अन्यथा अग्रिम
कार्यवाही अमल में ली जावेगी। साथ ही
वकील प्रवी लक्ष्मी से उक्त जवाब उपपन्न
हेतु न्यायद्वित में लवणी अंतिम अवसर
दिया जाकर पतावली आयेका दिनांक 11/11/19
को मूल वाद के साथ पेश हो।

जहाँ मलमल
मप म

5/11/19

अनुपस्थित।
आज वकील मण्डल एवं न्यायालय में
अनुपस्थित रहने का नोटिस दिया गया है।
अतः पेशी प्रस्ताव के लिए पतावली
दिनांक 17/12/19 को लक्ष्मी हो।

उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, भा.जं.

11/12/19

पतावली आज पेश हुई वकील प्रवी उषा
वकील प्रवी दस्तावेज प्रकरण को आज नहीं
चलाना चाहते हैं तथा प्रकरण Not Proceed करने
हेतु लिखित रिपॉर्त की है। वकील प्रवी
के निवेदन को स्वीकार किया जाकर
दस्तावेज प्रकरण को वकील प्रवी की
लक्ष्मी के आधार पर जारी Not Proceed
खारीज की जाती है। पतावली निमित्त को
जाकर नामवर से नाम है।
निरीय आज दिनांक 11/12/19 को सुनाया गया।
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

N/P
20/11
M

जहाँ मलमल
मप म

